<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्टेट् प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आपराधिक प्र.क.: 924 / 2014</u> संस्थित दि: 10 / 10 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — अभियोगी

विरुद

- गोरेलाल ठाकरे पिता गेंदलाल ठाकरे, उम्र 52 साल, जाति पंवार, साकिन कुन्डा मोहगांव थाना हट्टा हाल समनापुर पुलिस चौकी उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)
- चन्द्रसेन बिसेन पिता पिट्टूलाल बिसेन, उम्र 54 साल, जाति पंवार,
 सािकन सोनपुरी चौकी उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — — आरोपीगण

–<u>ःः उर्पापण – आदेश ःः</u>–

(आज दिनांक 14/11/2014 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी चन्द्रसेन न्यायिक अभिरक्षा में है एवं आरोपी गोरेलाल जमानत पर है।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी थानसिंह कोर्राम के द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 24.01.2014 को चौकी उकवा रूपझर में पेश किया गया, जिसकी जांच सहायक उपनिरीक्षक दुर्गाप्रसाद भगत चौकी उकवा द्वारा की गई जांच उपरान्त आरोपी चन्द्रसेन पिता पिट्टूलाल, गोरेलाल पिता गेंदलाल, बोहरन सिंह पिता जगतसिंह धुर्वे द्वारा बैंक कर्मचारी/अधिकारी द्वारा एक राय होकर बेईमानीपूर्वक बैंक के दस्तावेजों में काट छाट कर दस्तावेजों में हेराफेरी कर बेईमानीपूर्वक समिति (शास.) की राशि 3528799.80/—रूपये का गबन किया गया। जांच के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 83/14 अन्तर्गत धारा 409, 420, 467, 468, 471 भा.दं.वि. का दिनांक 14.

07.2014 को कायमी की गई। फरियादी एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी गोरेलाल एवं चन्द्रसेन को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी गोरेलाल एवं चन्द्रसेन के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपीगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 34 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाधाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।
- (06) आरोपीगण को धारा 207 द०प्र०सं० के अनुसार अभियोग—पत्र की नकलें दी गई।,
- (07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- (08) प्रकरण में आरोपी चन्द्रसेन न्यायिक अभिरक्षा में निरूध्द होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर तथा आरोपी गोरेलाल जमानत पर होन से उन्हें माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 26.11.2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- (09) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति रिजस्टर दि. 14.2.13 से 13.6.13 तक, केश स्काल रिजस्टर दि. 14.6.13 से 13.9.13 तक एवं सेविंग लेजन 54 बी, केश स्काल रिजस्टर दि. 3.12.12 से 03.2.13 तक हस्तिलिपि विशेष शाखा, जहांगीराबाद भोपाल को भेजा जाना दर्शित है एवं शेष सम्पत्ति नायब नाजिर बैहर की अभिरक्षा में होने से नायब नाजिर बैहर को माननीय न्यायालय के समक्ष आगामी नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट